

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 35/2020

अनवान : -

1. ओमप्रकाश पुत्र हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर ।

- सायल

बनाम

1. कृष्णकुमार पुत्र कालुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
2. घडसीराम पुत्र कालुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
3. दुनीराम पुत्र हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
4. मोमनराम पुत्र कलुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
5. रामकुमार पुत्र कलुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
6. सुखराम पुत्र हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
7. मैनेजर स्टेट बैंक इण्डिया शाखा फेफाना तहसील नोहर ।
8. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा फेफाना तहसील नोहर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।
10. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर ।

- गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :- 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायल
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय

दिनांक: 08/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 86/86 की कुल 7.0840 हैक्ट भूमि जिसमें सायल व गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर सीव व डोल को लेकर एवं काश्त बाबत तनाजात रहता है। वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है लेकिन अप्रार्थीगण वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी क्रेतागण को काबिज कराने पर आमादा है। अगर गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्ण्य क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने निवेदन किया की जवाब नहीं देना चाहते है। बहस सुनी जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है। इसके कारण



Rahul


सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावों के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्ण्य क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 86/86 की कुल 7.0840 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्ण्य क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्ण्य क्षति भी अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्ण्य क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक.....08/01/26.....मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर